राजस्थान सरकार
कृषि आयुक्तालय, राज0, जयपुर

क्रमांकः एफ4(ां)/आ.कृ./उर्वरक/3/2017–18/ 2035-2285 दिनांकः 1|6|17

1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद ....
2. संयुक्त निदेशक कृषि, (विस्तार) खण्ड ....
3. परियोजना निदेशक, सीएडी कोटा।
4. उपनिदेशक कृषि (विस्तार), जिला परिषद ....
5. उपनिदेशक कृषि (विस्तार), आईजीएनपी बीकानेर।
6. जिला विस्तार अधिकारी, सीएडी कोटा/सुल्तानपुर/बूंदी।
7. सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) ....

विषयः–वर्ष 2017–18 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, एनएफएसएम–दलहन व एनएमओओपी योजनान्तर्गत जैव–उर्वरक वितरण के दिशा– निर्देश भिजवाने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत समस्त योजनान्तर्गत जैव–उर्वरक वितरण के दिशा–निर्देश संलग्न कर भिजवाये जा रहे है एवं वित्तीय लक्ष्य पृथक से भिजवाऐ जावेगें।

अतः संलग्न दिशा निर्देशों के अनुसार वर्ष 2017–18 के कार्यक्रम का शत–प्रतिशत क्रियान्वयन सुनिश्चित करें।

संलग्नः उपरोक्तानुसार।

(विकास सीतारामजी भाले)
आयुक्त, कृषि

क्रमांकः एफ4(ां)/आ.कृ./उर्वरक/3/2017–18/2035-2285 दिनांकः 1|6|17
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु–

1. विशिष्ठ सहायक कृषि मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, कृषि, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. आयुक्त, जल ग्रहण एवं भू–संरक्षण, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. निदेशक, उद्यान, राजस्थान, जयपुर।
5. समस्त अतिरिक्त संभागीय आयुक्त ....
6. समस्त जिला कलेक्टर ....
7. अतिरिक्त निदेशक कृषि, आदान/विस्तार/अनुसंधान।
8. संयुक्त निदेशक कृषि (गु0नि0/योजना/आरकेवीवाई) मु0, जयपुर।
9. महाप्रबन्धक (कृषि आदान) राजफैड, जयपुर ....
10. एसीपी, मु0 जयपुर को भेजकर लेख है कि दिशा–निर्देशों की प्रति कृषि विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
11. समस्त जैव उर्वरक निर्माता ....

31.5.17
(डॉ.आर.जी.शर्मा)
संयुक्त निदेशक कृषि (आदान)

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, एनएफएसएम–दलहन व एनएमओओपी योजनान्तर्गत वर्ष 2017–18 जैव–उर्वरक वितरण के कियान्वयन हेतु दिशा निर्देश

प्रस्तावना

जैव–उर्वरक वाहक आधारित (ठोस अथवा द्रव) जीवित सूक्ष्म अवयव अन्तर्विष्ट उत्पाद है जो मृदा और/अथवा फसल की उत्पादकता बढाने के लिए नाइट्रोजन निर्धारण, फॉस्फोरस घुलनशीलता अथवा पोषक संगटन (Nutrient mobilization) आदि के रूप में कृषि की दृष्टि से उपयोगी है। कृषकों द्वारा कार्बनिक खाद का उपयोग कम करने तथा रासायनिक उर्वरकों का लगातार एवं असंतुलित उपयोग करने से कई क्षेत्रों में विशेषतया जिंक, आयरन व अन्य पोषक तत्वों की कमी मृदा में परिलक्षित हो रही है। जैव उर्वरक के उपयोग से अतिरिक्त नत्रजन की आपूर्ति होती है तथा भूमि में स्थिर फॉस्फोरस घुलनशील होकर पौधों को उपलब्ध होता है। भूमि की भौतिक संरचना तथा रासायनिक व जैविक दशा में भी सुधार होता है। जैव उर्वरक सस्ते, प्रदूषण रहित तथा आसानी से उपयोग योग्य है, आर्थिक दृष्टि से कमजोर कृषक भी इनका उपयोग कर उत्पादन बढा सकता है। जैव उर्वरक जैविक खेती का एक मुख्य अंग है।

सामान्य निर्देश

1. भारत सरकार द्वारा जैव–उर्वरक के उपयोग को बढावा देने हेतु आरकेवीवाई के तहत कृषकों को अनुदानित दर पर जैव–उर्वरक उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। सामान्यतया जैव–उर्वरक का प्रयोग बीज उपचार मे किया जाता है। बीजोपचार हेतु कमशः फफूंदीनाशक, कीटनाशक व अन्त में जैव–उर्वरक का प्रयोग किया जावें। सामान्यतया फसलों में 200–250 ग्राम के 3–3 जैव–उर्वरक पैकेट प्रति हैक्टर की दर से फसल के अनुरूप प्रयोग किये जाते है। आरकेवीवाई में **समस्त फसल** सम्मिलित है।
2. समस्त उप निदेशक कृषि, विस्तार जिला परिषद्/परियोजना निदेशक सीएडी कोटा/उपनिदेशक कृषि विस्तार, इं.गा.न.प. बीकानेर अपने जिले की मांग अनुसार जैव उर्वरक की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे।
3. जैव उर्वरक के उपयोग विधि का सजीव प्रदर्शन कर कृषकों का बतलाया जावें।
4. जैव उर्वरक के उपयोग को बढानें हेतु फील्ड एजेन्सी के माध्यम से मीटिंग/रात्रि गोष्ठी, किसान मण्डलों में अधिक प्रचार–प्रसार किया जावें। इसके अतिरिक्त इलेक्ट्रोनिक मीडिया एवं प्रिन्ट मीडिया द्वारा लीफलेट, पम्पलेट, गोष्ठी आदि के माध्यम से इसके उपयोग से कृषकों को होने वाले फायदे से अवगत करवाया जावें।
5. निदेशालय के परिपत्र एफ 2 (ओ एण्ड एम)/13/नि.कृ./2005/7342–7495, दिनांक 16.3.2005 की पालना में कोई भी कर्मचारी/अधिकारी किसी भी निर्माता/संस्था/विक्रेता के जैव–उर्वरक पैकेट के वितरण कृषकों को स्वयं सीधे नहीं करेंगे तथा इनकी राशि भी सीधे प्राप्त नहीं करेंगे। कृषक जैव–उर्वरक पैकेट की कृषक हिस्सा राशि स्वयं भुगतान

कर जैव–उर्वरक पैकेट प्राप्त करेंगे। साथ ही कोई भी अधिकारी/कर्मचारी किसी भी उत्पाद के विशिष्ट व्यापारिक/व्यवसायिक नाम की सिफारिश/सलाह नहीं देंगे।

6.सहकारी संस्था द्वारा आदान वितरण के तत्काल पश्चात् आदानों के बिल पूर्ण रूप से पूर्ति की जाकर संबंधित उप/सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) को प्रस्तुत किये जायेंगे। संबंधित आहरण वितरण अधिकारी द्वारा सहकारी संस्था से बिल प्राप्त होने के एक माह की अवधि में कोषालय प्रस्तुत किया जाकर भुगतान की कार्यवाही की जायेंगी। यदि किसी मद में आवश्यक बजट उपलब्ध नही हो तो संयुक्त निदेशक कृषि (आदान), मु0 जयपुर को अविलम्ब सूचित किया जायेंगा। बजट आवंटन होने के पश्चात् जिलों द्वारा बिना किसी ठोस कारण से बजट के उपभोग नही करने की दशा में मुख्यालय द्वारा बजट वापस लिया जाकर अन्यंत्र मांग वाले जिलों को आवंटित कर दिया जायेंगा।

(1) कृषक का चयन

जैव–उर्वरक वितरण में सभी श्रेणी के कृषकों को लाभान्वित किया जा सकता है। जिले में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति के कृषकों की जनसंख्या के आधार पर तथा महिला कृषकों को प्राथमिकता से लाभान्वित करते हुए वितरण सुनिश्चित किया जावें।

(2) प्रक्रिया

(2.1) भारत सरकार द्वारा उर्वरक (नियंत्रण) संशोधन आदेश 2006 प्रवृत किया गया है जिसके अनुसार विभिन्न प्रकार के जैव उर्वरक यथा– एजोटोबैक्टर, राइजोबियम व पीएसबी को उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 में समावेशित किया गया है। जिसके फलस्वरूप इनके विनिर्माण एवं विक्रय हेतु विनिर्माण प्रमाणपत्र/विक्रय प्राधिकार पत्र लिया जाना विधिक रूप से आवश्यक है।

(2.2) अनुदान पर जैव–उर्वरक (बायोफर्टिलाइजर) का वितरण क्रय विक्रय सहकारी समिति/ग्राम सेवा सहकारी समिति एवं निर्माताओं द्वारा अधिकृत निजी विक्रेताओं के द्वारा किया जावेगा।

(2.3) विभागीय अधिकारी अपने स्तर से निर्माताओं को सीधे जैव–उर्वरक की आपूर्ति करने के लिए आपूर्ति आदेश नहीं देंगे तथा विभाग क्रय नहीं करेगा।

(2.4) संबंधित सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) ग्राम पंचायतवार भौतिक लक्ष्यो का निर्धारण कर संबंधित कृषि पर्यवेक्षक को सूचित करेगें तथा कृषि पर्यवेक्षक, कृषकों को प्रेरित करते हुए आवंटित लक्ष्यो की शत–प्रतिशत पूर्ति सुनिश्चित करेगें।

(2.5) निजी व सहकारी दोनो क्षेत्रो में निर्मित जैव–उर्वरक क्रय विक्रय सहकारी समिति/ ग्राम सेवा सहकारी समिति व निर्माताओं द्वारा अधिकृत निजी विक्रेताओं के द्वारा कृषको को वितरित किये जाने पर अनुदान विनिर्माता को अनुज्ञेय होगा। अनुदान पर वितरित जैव–उर्वरक (बायोफर्टिलाइजर) की कृषक हिस्सा राशि संबंधित क्रय विक्रय सहकारी समिति/ग्राम सेवा सहकारी समिति एवं निजी विक्रेता सीधे ही कृषको से प्राप्त करेगे।

(3) गुण नियंत्रण

(3.1) जैव–उर्वरक निर्माता अपने अधिकृत निजी/सहकारी समिति को आपूर्तित जैव–उर्वरकों की मात्रा, बैच एवं तिथि से संबधित सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) / जिला विस्तार अधिकारी (सीएडी)/ आईजीएनपी बीकानेर को अवगत करायेंगे ताकि संबंधित अधिकारी या उनके प्रतिनिधि द्वारा जैव–उर्वरक के प्राप्त स्टॉक का भौतिक सत्यापन किया जा सकें तथा नमूने लिये जा सकें। जब तक स्टॉक का भौतिक सत्यापन नहीं किया जाय, निजी/सहकारी समिति आदि द्वारा विक्रय प्रारम्भ नहीं किया जायेगा। कृषि विभाग के अधिकारियों का नियंत्रण अनुदान का समुचित उपयोग करने के लिए आवश्यक है। जैव उर्वरकों के नमूने अधिकृत निरीक्षक द्वारा लिये जायेंगे तथा परीक्षण हेतु जैव उर्वरक गुण नियंत्रण प्रयोगशाला, दुर्गापुरा, जयपुर को भिजवाये जायेंगे। प्रयोगशाला की जॉच के परिणाम के अभाव में आपूर्ति किये गए जैव–उर्वरक पर अनुदान नहीं दिया जावेगा। जिसकी जिम्मेदारी संबंधित निर्माता/सहकारी समिति/ग्राम सेवा सहकारी समिति/निजी विक्रेता की होगी। नमूना लेना व विश्लेषण करवाने की पूर्ण जिम्मेदारी कृषि विभाग के अधिकारियो की होगी। अतः समस्त निर्माता जैव उर्वरकों की आपूर्ति की सूचना तत्काल संबंधित अधिकारी यथा सहायक निदेशक कृषि (विस्तार)/जिला विस्तार अधिकारी को देंगे। संबंधित अधिकारी स्वयं के द्वारा या उनके द्वारा निर्देशित उर्वरक निरीक्षक द्वारा आपूर्ति किये जैव उर्वरकों के नमूने आवश्यक रूप से लिये जाकर जांच हेतु प्रयोगशाला को भिजवाये जायेंगे।

(3.2) जैव–उर्वरक वितरण का पूर्ण विवरण जैसे कृषक का नाम, पिता का नाम, गांव, श्रेणी, नाम जैव–उर्वरक पैकेट, बैच नम्बर व संख्या नाम फसल आदि का भी विवरण संबंधित क्रय विक्रय सहकारी समिति/ग्राम सेवा सहकारी समिति एवं निजी विक्रेताओं द्वारा वितरण रजिस्टर में संधारित किया जावेगा एवं वितरण रजिस्ट्र पर कृषकों के हस्ताक्षर(स्वेच्छा से) भी लिये जाए।

(3.4) क्षेत्र में वितरित जैव–उर्वरक का 10 प्रतिशत भौतिक सत्यापन कृषि पर्यवेक्षक द्वारा एवं 5 प्रतिशत भौतिक सत्यापन सहायक कृषि अधिकारी द्वारा किया जावेगा।

(4) भुगतान संबंधी उपबन्ध

(4.1) विश्लेषण रिर्पोट में मानक पाये जाने पर ही उस बैच के जैव–उर्वरक पर अनुदान संबंधित उप/सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) या जिला विस्तार अधिकारी (सीएडी व आईजीएनपी क्षेत्र) द्वारा सत्यापन उपरान्त नियमानुसार स्वीकृत किया जाकर विनिर्माता को अनुदान राशि का भुगतान एकाउन्टपेई डी.डी./खाते में सीधे ही किया जावेगा।

(4.2) संबंधित क्रय विक्रय सहकारी समिति/ग्राम सेवा सहकारी समिति/निजी विक्रेता अनुदान पर वितरित जैव–उर्वरक (बायोफर्टिलाईजर) की कृषकवार संधारित वितरण रजिस्टर की प्रमाणित प्रति तथा बिल जिसमें नाम जैव–उर्वरक बैच नम्बर व मात्रा, स्टाक इन्द्राज, अधिकतम खुदरा मूल्य, कृषक हिस्सा राशि एवं अनुदान राशि तथा सामान्य/टीएसपी/एससीपी श्रेणी अंकित करेंगे तथा संबंधित सहायक कृषि अधिकारी

से प्रमाणित कराकर भुगतान हेतु संबंधित उप/सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) या जिला विस्तार अधिकारी (सीएडी व आईजीएनपी क्षेत्र) को प्रेषित करेगें। संबंधित अधिकारी द्वारा नियमानुसार अनुदान राशि का भुगतान संबंधित निर्माता को किया जावेगा।

(5) पेनल्टी संबंधी उपबन्ध

(5.1) विश्लेषण पश्चात अमानक पाये जाने पर संबंधित जिले मे अमानक बैच के जैव–उर्वरक पैकेटस के अनुदान का भुगतान नहीं किया जावेगा एवं एफसीओ, 1985 के तहत संबंधित के विरूद्ध विधिक कार्यवाही अमल मे लाई जावेंगी।

(6) अनुदान/सहायता

(6.1) अनुदान सहायता पाउडर आधारित जैव–उर्वरक पर देय होगी। जैव उर्वरक के पैकेट 200–250 ग्राम पर अनुदान अनुज्ञेय है।

(6.2) क्षेत्रफल एवं सहायता / अनुदान :

विवरण	आरकेवीवाई (समस्त फसलें)	एनएफएसएम–दलहन	एनएमओओपी
सहायता/ अनुदान	कुल लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम 100 रूपए प्रति हैक्टयर (पाउडर हेतु), जो भी कम हो।	कुल लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम 300 रूपए प्रति हैक्टयर (पाउडर हेतु), जो भी कम हो।	कुल लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम 65 रूपए प्रति हैक्टयर (पाउडर हेतु), जो भी कम हो।

(6.3) समस्त योजनाओं के तहत अनुदान राशि का भुगतान मानक जैव–उर्वरक पर संबंधित निर्माता को उपयोग किये गये जैव उर्वरक की कीमत का 50 प्रतिशत की दर से भुगतान किया जावेगा।

(6.4) अनुदान राशि का भुगतान विश्लेषण में मानक पाये जाने पर संबंधित निर्माता को ही किया जावेगा, किन्तु कय विकय सहकारी समिति/ग्राम सेवा सहकारी समिति द्वारा यदि पूरी कीमत निर्माता को भुगतान कर जैव–उर्वरक कय कर अनुदान पर कृषकों को वितरित किया जाता है तो मानक जैव–उर्वरक की अनुदान राशि का भुगतान संबंधित कय विकय सहकारी समिति/ग्राम सेवा सहकारी समिति को किया जा सकेगा।

(6.5) संबंधित उप/सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) या जिला विस्तार अधिकारी जैव–उर्वरकवार वितरण की मासिक भौतिक व वित्तीय प्रगति निर्धारित प्रपत्र में प्रत्येक माह की 7 तारीख तक संयुक्त निदेशक कृषि (आदान) राजस्थान, कृषि निदेशालय, पंत कृषि भवन, जयपुर को भिजवाना सुनिश्चित करेंगे।

(6.6) संबंधित क्रय विक्रय सहकारी समिति/ग्राम सेवा सहकारी समिति/निजी विक्रेताओं द्वारा संबंधित जैव–उर्वरकों के अधिकतम खुदरा मूल्य में से अनुदान राशि धटाकर कृषकों को विक्रय किये जायेंगे।

(6.7) विभाग द्वारा कियान्वित समस्त अनुदानित योजनाओं में कृषकों को जैव उर्वरकों की उपलब्धता शत प्रतिशत अनुदानित योजनाओं में क्रय विक्रय सहकारी समिति/ग्राम सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से ही आवश्यक रूप से की जानी है तथा 50 प्रतिशत अनुदान वाली योजनाओं में जैव उर्वरकों का वितरण विभाग द्वारा अभिरूचि की अभिव्यक्ति के माध्यम से निर्धारित दरों पर ही अनुमोदित फर्मो से क्रय विक्रय सहकारी समिति/ग्राम सेवा सहकारी समितियों एंव अधिकृत निजी विक्रेताओं के माध्यम से कराया जाना सुनिश्चित किया जावें अन्यथा आपूर्ति संस्था को अनुदान राशि का भुगतान किया जाना संभव नही होगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आपूर्तिकर्ता की होगी।

(6.8) यह भी सुनिश्चित किया जावें कि मुख्यालय से किसी भी योजना प्रभारी द्वारा सीधे ही जैव उर्वरक आपूर्तिकर्ता को जैव उर्वरकों के आपूर्ति आदेश जारी नही किये जावें। विभाग द्वारा अभिरूचि की अभिव्यक्ति संबंधी कार्यवाही प्रकियाधीन है, जो पूर्ण होते ही आपको भिजवाई जावेंगी।

7. <u>अन्य</u>

(7.1) आवंटित लक्ष्यों की शतप्रतिशत प्राप्ति की जानी है, योजना के भौतिक लक्ष्य एवं वित्तीय प्रावधान शीघ्र ही आपको प्रेषित कर दिये जावेगें। लक्ष्यों से अधिक मांग होने पर मांग अनुसार जैव उर्वरक वितरण कर अतिरिक्त मांग से खरीफ हेतु माह जुलाई, 2017 में व रबी हेतु माह नवम्बर, 2017 तक आवश्यक रूप से निदेशालय को अवगत करावें।

(7.2) लाभान्वित कृषकों की सूची हेतु विक्रेता स्तर पर संधारित रजिस्टर की प्रमाणित प्रतियों का कार्यालय स्तर पर पत्रावलीबद्ध किया जावें एवं इसकी प्रति मांगे जाने की स्थिति में आयुक्तालय को भिजवायें।

(7.3) कार्यालय प्रभारी अपने क्षेत्र में अनुदान पर वितरित एवं सामान्य रूप से वितरित जैव–उर्वरक पैकिट का निर्मातावार/जैव–उर्वरकवार अलग अलग रिकार्ड संधारण करेंगे।

(7.4) प्रत्येक पैकिट पर नाम जैव उर्वरक, नाम फसल , निर्माण तिथी, अवधिपार तिथी, बैच नंम्बर, अधिकतम खुदरा मूल्य, नाम विनिर्माणकर्ता, जैव उर्वरक शब्द स्पष्ट रूप से एवं संबंधित जैव उर्वरक का संघटन (आधार, व्यवहार्य कोशिका संख्या, संदूषण स्तर, पी.एच, आर्द्रता प्रतिशत आदि) विवरण का अंकन होना आवश्यक है।

(7.5) पृथक से वित्तीय आवंटन नहीं होगा, योजनावार समेकित रूप से आवंटित बजट में से ही अनुदान राशि पारित की जावें।

31.5.17

(डॉ.आर.जी.शर्मा)
संयुक्त निदेशक कृषि (आदान)